



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272030
CG-DL-E-24042026-272030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1970]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1970]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

का.आ. 2043(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के कि.मी. 205.373 से कि.मी. 311.700 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् तहसीलदार, कोरापुट को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा

सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326 के कि.मी. 295.6 से कि.मी. 311.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कोरापुट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कोरापुट					
गांव का नाम: टला					
1	357	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.004067 (एकर)	0.0016459
2	358	निजी	एग्रीकल्चर	0.047348 (एकर)	0.0191615
3	360	निजी	एग्रीकल्चर	0.200213 (एकर)	0.0810251
4	361/1323	निजी	एग्रीकल्चर	0.159505 (एकर)	0.0645508
5	378	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.06764 (एकर)	0.0273735
6	470	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.058098 (एकर)	0.0235119
7	491	निजी	एग्रीकल्चर	0.052416 (एकर)	0.0212125
गांव का नाम: डुनुरी					
8	3	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.132669 (एकर)	0.0536904
9	5	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.06509 (एकर)	0.0263416
10	6	निजी	एग्रीकल्चर	0.340471 (एकर)	0.1377867
11	7	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.099494 (एकर)	0.0402647

12	8	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.060532 (एकर)	0.024497
गांव का नाम: रूण्डीआम्बा					
13	23	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.112362 (एकर)	0.0454723
14	23/49	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.032028 (एकर)	0.0129616
15	8	निजी	एग्रीकल्चर	0.034568 (एकर)	0.0139895
गांव का नाम: चिन्दिरी					
16	213	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर	0.036311 (एकर)	0.0146949
17	217	निजी	एग्रीकल्चर	0.077741 (एकर)	0.0314614
18	218	निजी	एग्रीकल्चर	0.027942 (एकर)	0.011308
19	481	निजी	एग्रीकल्चर	0.288941 (एकर)	0.1169328
Total					0.7678821

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

S.O. 2043(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH326 in the stretch of land from Km.205.373 to Km. 311.700 in the district of KORAPUT in the state of ODISHA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Tahsildar, koraput in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH326 in the stretch of land from Km. 295.6 to Km. 311.7 (koraput) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA

State: ODISHA			District: KORAPUT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Koraput					
Village: Tala					
1	357	Government	Non Agriculture	0.004067 (Acre)	0.0016459
2	358	Private	Agriculture	0.047348 (Acre)	0.0191615
3	360	Private	Agriculture	0.200213 (Acre)	0.0810251
4	361/1323	Private	Agriculture	0.159505 (Acre)	0.0645508
5	378	Government	Non Agriculture	0.06764 (Acre)	0.0273735
6	470	Government	Non Agriculture	0.058098 (Acre)	0.0235119
7	491	Private	Agriculture	0.052416 (Acre)	0.0212125
Village: Dunguri					
8	3	Government	Non Agriculture	0.132669 (Acre)	0.0536904
9	5	Government	Non Agriculture	0.06509 (Acre)	0.0263416
10	6	Private	Agriculture	0.340471 (Acre)	0.1377867
11	7	Government	Non Agriculture	0.099494 (Acre)	0.0402647
12	8	Government	Non Agriculture	0.060532 (Acre)	0.024497
Village: Rundiamba					
13	23	Government	Non Agriculture	0.112362 (Acre)	0.0454723
14	23/49	Government	Non Agriculture	0.032028 (Acre)	0.0129616
15	8	Private	Agriculture	0.034568 (Acre)	0.0139895
Village: Chindiri					
16	213	Government	Non Agriculture	0.036311 (Acre)	0.0146949
17	217	Private	Agriculture	0.077741 (Acre)	0.0314614
18	218	Private	Agriculture	0.027942 (Acre)	0.011308
19	481	Private	Agriculture	0.288941 (Acre)	0.1169328
Total					0.7678821

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director